न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलार्थी

बनाम

रामकिशोर पुत्र श्री दुल्हेराम जाति गुर्जर निवासी खेड़ली थाना नादौती जिला करौली राज.
– प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–22.10.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री रामकिशोर पुत्र श्री दुल्हेराम जाति गुर्जर निवासी खेड़ली थाना नादौती जिला करौली ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश न्याय/6730–77 दिनांक 16.09.2008 जिसके द्वारा श्री गुर्जर का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, के विरूद्ध अपील संख्या 30/2012 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील में दिनांक 04.03.2016 को निर्णय पारित करते हुये श्री गुर्जर की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि श्री गुर्जर को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर श्री गुर्जर को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस के दौरान श्री गुर्जर ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि शस्त्र को संबंधित थाने में जमा कराये जाने के समाचार पत्रों में प्रकाशित निर्देशों की जानकारी श्री गुर्जर को नहीं रही है और श्री गुर्जर को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। शस्त्र जमा कराने की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण शस्त्र को जमा नहीं करवा पाया। अंत में श्री गुर्जर को जारी शस्त्र लाइसेन्स को बहाल करने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार ने पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि तत्समय गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन को मध्येनजर रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को उनके शस्त्र सम्बन्धित थानो में जमा कराये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। तत्समय की स्थिति में आलोच्य आदेश की प्रति की व्यक्तिगत तामील कराया जाना सम्भव नहीं था। इसलिये आदेश का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से कराया। श्री गुर्जर द्वारा सूचना के उपरान्त शस्त्र जमा नहीं कराये जाने पर पुलिस अधीक्षक, करौली की अभिशंषा पर इनका शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो विधिक प्रकिया के अनुसार सही है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त रखे जाने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक, करौली ने रिपोर्ट क्रमांक ल–1/( )श.अ. बहाली/डीएसबी /2019/10600 दिनांक 24.09.2019 द्वारा श्री गुर्जर को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने की अभिशंषा के साथ अपनी अनापत्ति प्रेषित की है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय दिनांक 05.06.2008 को जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलंबित कर शस्त्र जमा करवाने बाबत् आदेश जारी किया

जिला कलक्टर
करौली

गया था। श्री गुर्जर द्वारा शस्त्र जमा नहीं करवाने की थानाधिकारी नादौती की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 16.09.2008 को श्री गुर्जर का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया था। तत्समय की स्थिति के अनुसार न तो सभी शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों पर व्यक्तिगत तामील करवाई जा सकती थी और ना ही व्यक्तिगत सुनवाई की जा सकती थी। श्री गुर्जर द्वारा तय समय सीमा में शस्त्र जमा नहीं कराया गया था और समय पर शस्त्र जमा नहीं करवा पाने का कोई उचित कारण भी श्री गुर्जर द्वारा नहीं बताया गया है। अतः हम श्री गुर्जर का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त रखा जाना उचित समझते हैं।

अतः श्री गुर्जर को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 5617/डीएम/87 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सहित मूल पत्रावली न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट, करौली में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली